U;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tks/kiqj
v/;{krk % yfyr dqekj xqIrk] vkbZ-,-,l-
lqpuk dk vf/kdkj izFke vihy la[;k %& 03@2018

vihykUV	**cuke**	**jsLikWUMsUV**
जयन्ती लाल पुत्र श्री केसरीमल, जाति जैन, निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरोही।		अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त (लोक सूचना अधिकारी) जोधपुर

अपील अंतर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
विरुद्ध अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,(लोक सूचना अधिकारी)

%% vkns'k%%

दिनांकः 4.12.2018

अपीलान्ट द्वारा कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी (अति. सम्भागीय आयुक्त) जोधपुर के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 13.9.2018 के द्वारा ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी के सरपंच पूर्व सरपंच, प्रधान व सचिव द्वारा फर्जी पट्टे जारी करने की शिकायत माननीय प्रधानमंत्री नई दिल्ली कार्यालय जो ग्रामीण विभाग एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित प्रकरण बाबत सूचना चाही गयी थी । अपीलान्ट ने निवेदन किया है कि चाही गयी सूचना 30 दिन मे प्राप्त नही होने पर अपीलान्ट ने उक्त अपील प्रस्तुत कर चाही गयी सूचना शीघ्र उपलब्ध कराने का निवेदन किया है।

लोक सूचना अधिकारी ने प्रस्तुत अपील पर अपनी टिप्पणी मे अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध मे प्रार्थी को कार्यालय के पत्र क्रमांक सू.अ./एडीसीफ/41/2018/87 दिनांक 9.10.2018 के द्वारा सूचित किया गया कि उनके द्वारा चाही गयी सूचनाऐं कुल पृष्ठ 5 तैयार कर ली गयी है, जो आप कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते है। उक्त पत्र

के संदर्भ मे अपीलान्ट ने पत्र दिनांक 2.11.2018 के संलग्न शुल्क 5/– रूपये का भारतीय पोस्टल आर्डर भिजवाने पर इस कार्यालय के पत्र दिनांक 6.11.2018 द्वारा चाही गयी सूचना रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई जा चुकी है। इस प्रकार कार्यालय स्तर से निर्धारित समय अवधि मे सूचना दी जा चुकी है। अतः अपीलान्ट की अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

हमने अपीलान्ट द्वारा अपील मे प्रकट तथ्यों एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही संबंधी पत्रावली का अवलोकन किया, जिससे पाया गया कि अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त (लोक सूचना अधिकारी) जोधपुर ने प्रार्थी द्वारा चाही गयी सूचना निर्धारित समय अवधि मे प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपीलान्ट सारहीन एवं आधारहीन होने स्वीकार की जाना उचित प्रतीत नही होता है।

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है तथा अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त (लोक सूचना अधिकारी) जोधपुर द्वारा की गयी कार्यवाही को यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो तथा अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त (लोक सूचना अधिकारी) की मूल पत्रावली मय निर्णय की प्रति के साथ लौटायी जावे।

¼yfyr dqekj xqIrk½
डिवीजानल कमिश्नर, जोधपुर

1. प्रतिलिपि– श्री जयन्तीलाल पुत्र केसरीमल जैन, निवासी रोहिडा, तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरोही को सूचनार्थ प्रेषित है।

डिवीजानल कमिश्नर, जोधपुर